महत्वपूर्ण एवं खास

जमीन विवाद में मारपीट, तीन आरोपी गिरफ्तार

कवर्धा-रायपुर (आरएनएस)। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं एसडीओपी संजय ध्रुव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक जे.एल. शांडिल्य के नेतृत्व में टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक मनोज तिवारी, प्रधान आरक्षक अजय जायसवाल, आरक्षक दूजराम सिंद्राम, आरक्षक संदीप पांडेय, आरक्षक कृष्णकुमार ध्रुवे, आरक्षक राजू निषाद और आरक्षक पंचम बघेल का विशेष योगदान रहा। पूछताछ में आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडे बरामद किए गए। दो आरोपियों को जिला जेल कवर्धा और एक नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह राजनांदगांव भेजा गया।

कार्य में लापरवाही बरतने वाला पटवारी निलंबित

अंबिकापुर-रायपुर (आरएनएस)। शासकीय कार्यों में लापरवाही के चलते पटवारी नारायण सिंह पर गाज गिरी है. तहसील उदयपुर के हल्का पटवारी नारायण सिंह, जो हल्का नंबर-8 चैनपुर में पदस्थ हैं, उन्हें शासकीय कार्यों में लापरवाही और कदाचार के कारण निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) उदयपुर ने की है.प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटवारी नारायण सिंह पर ग्राम कवलगिरी के कृषक बंधन से रकबा संशोधन कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का आरोप है. साथ ही उन पर कृषक से एक हजार रुपये लेने का भी आरोप है. पटवारी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 03 (1) की कंडिका (ड) एवं (च) के विपरीत पाया गया. पटवारी का यह कृत्य शासकीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है. इस मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 09 के तहत नारायण सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

मुठभेड़ में दो माओवादी ढेर

गरियाबंद-रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा के पास कुल्हाड़ी घाट रिजर्व फॉरेस्ट में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच आज मुठभेड़ में नक्सलियों को एक बड़ा झटका लगा है.इस मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर हुए हैं, वहीं एक कोबरा बटालियन का जवान घायल हुआ है, जिसे हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया. घटनास्थल पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं. सुबह 8:30 बजे से सुरक्षा बलों ने कुल्हाड़ी घाट रिजर्व फॉरेस्ट में माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था. इस ऑपरेशन में ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस की 10 टीमें शामिल हैं, जिनमें 3 एसओजी, 2 छत्तीसगढ़ पुलिस (श्व-30), और 5 सीआरपीएफ की टीमें शामिल थीं. ऑपरेशन की शुरुआत के कुछ ही समय बाद माओवादियों से गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे सुरक्षा बलों ने इलाके में तेजी से घेराबंदी की।

जीजा ने डंडे से पीट-पीट कर दी साले की हत्या

कांकेर-रायपुर (आरएनएस)। जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र के सेमरापारा में जीजा ने साले की डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, एक मोटर गैरेज में काम करने वाले जीजा-साले के बीच शराब के नशे में विवाद हो गया. इस दौरान गुस्से में आकर जीजा ने साले की हत्या कर दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. एसडीओपी प्रशांत पैकरा ने बताया कि सेमरापारा में एपी मोटर्स गैरेज में भोपाल मध्यप्रदेश के जागेश्वर कुमार और उसका साला संजय काम करता है. दोनों ने शुक्रवार की रात्रि साढ़े 8 बजे जमकर शराब पी. इसके बाद दोनों के बीच आपस में विवाद हो गया. इस दौरान मारपीट में साले संजय के सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौत हो गई. भोपाल से पहुंचे परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया गया. भानुप्रतापपुर पुलिस ने हत्या के आरोपी जागेश्वर कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी जीजा को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

एफीडेविट की शादी को किया गया है शून्य : डॉ. किरणमयी नायक

- सोशल मिडिया में दोबारा फोटो अपलोड करने पर होगी कार्यवाई
- महिलाओं को सजग और सचेत रहने की विशेष आवश्यकता है
- महिला आयोग की अध्यक्ष ने 5 प्रकरणों की सुनवाई की

जशपुर-रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य गण प्रियम्वदा सिंह जूदेव व सरला कोसरिया द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष जशपुर में महिला उत्पीडऩ से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय शर्मा आयोग के अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर आज 302 सुनवाई हुई। जशपुर जिले में 5 वि. जनसुनवाई। आज की सुनवाई में आवेदिका गण उपस्थित अना0 उप0 शेष अना0 क्र 1 और 3 अनुपस्थित। आवेदिकागण ने आयोग के समक्ष दो शिकायतें रखी हैं 1. आवेदिका गण के पिता व सभी अनावेदकगण उनके संयुक्त परिवार की हिस्सा बंटवारा अभी तक नहीं कराया गया है। तपकरा में आवेदिकागण की मां ने अपनी मेहनत और जमा पूंजी से मकान को रिपेयर कराये थे और वहां पर दुकान डाली थी जिससे उनका जीवन यापन होता था लेकिन आवेदिकागण के माता को सभी अनावेदकण मारपीटी करके 4 साल पहले घर से बाहर निकाल दिया है। वर्तमान में आवेदिकागण अपने मामा के घर अपने मां के साथ निवासरत् है। अनावेदक को पूछा गया तो उन्हें तपकरा के मकान में आवेदिका व उनके मां को रहने में कोई दिक्कत नहीं है बोले हैं। इस स्तर पर आयोग की ओर से शिखा शर्मा को नियुक्त किया जाता है। मौके पर जाकर उन्हें उनके मकान में रहने की और अनावेदकगण की विरोध न करने का समझाईश दी गई। उभय पक्ष को प्रोटेक्शन ऑफिसर को तपकरा थाना से 2 आरक्षक लेकर जाने की समझाईश दी गइ। 25 जनवरी को उभय पक्ष मौजूद रहें मकान में अपने निवास करने का आदेश दिया गया। आवेदिकागण तहसीलदार फरसाबहार के पास बटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। और इस प्रकिया को 2 माह में पूर्ण कराने हेतु कलेक्टर जशपुर को पत्र प्रेषित किया जायेगा। कि वह संपूर्ण बंटवारा कर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें। इस प्रकरण को आयोग की सदस्य जूदेव जी को सौंपा जाये एवं कले. तह0 से समन्वय स्थापित कर प्रकरण को निराकृत करने को आदेशित किया गया। आज के ऑडर सीट की नि:शुल्क प्रमाणित प्रतिलिति आवेदिकागणों को और उपस्थित अनावेदकगणों एवं सरक्षण अधिकारी को दिया जाता है। आवेदिका द्वारा आज सुनवाई के दौरान प्रकरण समाप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक के साथ में आपसी विवाद समाप्त हो चुके हैं और वह प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहती है। अत: आयोग द्वारा प्रकरण नस्ती बद्ध किया जाता है।

उभय पक्ष उपस्थित आवेदिका ने बताया कि उसकी समस्या का समाधान हो गया और सुलहनामा भी हो गया है उसने अपना प्रकरण वापस लेना चाहती है। आयोग द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। उभय पक्ष उपस्थित आवेदिका के विवाह के बाद अनावेदक ने आवेदिका की फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट कर उसे बदनाम करने का प्रयास किया था आज आयोग में बताया कि उसने आवदिका के साथ एफीडेफिट के माध्यम से शादी किया था इसलिए उसने ऐसा किया था। फिर आवेदिका ने थाना बगीचा में अनावेदक के खिलाफ शिकायत किया था। जिस पर पुलिस ने 151 की कार्यवाही की गई थी। उसने सारे मूल दस्तावेज थाना बगीचा में जमा कर दिये है। एवं अनावेदक के पास कोई अतिरिक्त फोटो नहीं है। इस स्तर पर दोनों पक्षों को समझाईश के बाद प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। अनावेदकगण उपस्थित अनावेदकगण को थाना लोदाम जिला-जशपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01 अक्टूबर 2024 का दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ने आवेदिका के भतीजा साहिद खान के विरूद्ध बलात्कार का रिपोर्ट दर्ज कराया है। इस शिकायत के आधार पर प्रकरण न्यायालय में चला गया है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। आवेदिका और अनावेदक क्र 2 और 3 उपस्थित शेष अनुपस्थित। आवेदिका ने अनावेदकगण के खिलाफ शिकायत किया गया कि कि 10 लाख रूप्ये दहेज की मांग किया गया था। और आवेदिका ने अनावेदकगण के द्वारा किये गये अत्याचार के खिलाफ थाना लोहरदगा पहुंच कर 21 अप्रैल 2024 को पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज किया गया था परन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया गया। और आवेदिका को कभी बुलाया भी नहीं गया। जिस पर थाना वाले आकर उसे छुड़ाया था और उसकी रिपोर्ट दर्ज किये थे। उसके प्श्चात् आवेदिका के घर वालों को सूचना दी गई।

लाखों की ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार

दुर्ग-रायपुर । आरएनएस

प्रार्थीया वैष्णवी नायर निवासी प्लाट बी- 1122 सडक़ 13 स्मृति नगर थाना सुपेला का दिनांक 24.09.2024 को एक लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2016 में आरोपी तन्मय विनोद कोहड़ के साथ दुर्ग के बी.टेक कालेज में पढाई के दौरान प्रार्थीया से जान पहचान हुई थी, वर्ष 2019 में आरोपी तन्मय विनोद कोहड़ के द्वारा अपने नौकरी के संबंध में बात किया, जो प्रार्थीया के द्वारा नौकरी अभी नही मिल रही है मिलने पर बताऊगी बोली कुछ समय तन्मय विनोद कोहड़ के द्वारा प्रार्थीया से बीट- क्वाईन में रकम निवेश करने पर अच्छा रिटर्न होने की बात बोलकर वर्ष 2020 से 2022 तक विभिन्न दिनांक को अपने मोबाईल नम्बर 9893387652 के पेटीएम खाता क्रमांक 919893387652 में कुल 36,15,212 रू जमा कराकर धोखाधड़ी किया गया है तत्संबंध में थाना सुपेला चौकी स्मृति नगर में अपराध क्रमांक 1022/2024 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार शुक्ला (भापुसे) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी, निरीक्षक राजेश मिश्रा थाना प्रभारी सुपेला के मार्गदर्शन में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये आरोपीं की पता तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु प्राप्त दिशा निर्देश के परिपालन आरोपी के मोबाईल नम्बर का तकनीकी जानकारी प्राप्त किया गया मुखबीर से सूचना मिली की आरोपी तन्मय विनोद कोहड़ नागपुर में अपने घर में बाहर से ताला बंद कर दिया और उसी घर के अन्दर छुपकर निवास कर रहा है सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारीयों से दीगर राज्य जाने की अनुमति प्राप्त कर थाना बेलतरोड़ी जिला नागपुर (महाराष्ट्र) जाकर नागपुर पुलिस से समन्वय स्थापित किया गया जहॉ पर जानकारी हुई कि आरोपी तन्मय विनोद कोहड़ घर में छिपा हुआ है तब पुलिस द्वारा मौके पर केबल आपरेटर बन कर आरोपी तन्मय विनोद कोहड़ के सकुनत पर दबिश दिया जाकर अभिरक्षा में लेकर पुछताछ कर आरोपी के कब्जे से घटना में उपयोग किये गये मोबाईल फोन को जप्त किया गया है आरोपी के द्वारा प्रार्थीया से प्रलोभन देकर छल पूर्वक जो राशि प्राप्त किया था उस समय में आरोपी के बैंक खाता की जानकारी प्राप्त की जा रही है। आरोपी तन्मय विनोद कोहड़ पिता विनोद कोहड़ उम्र 28 साल साकिन न्यु वसुंधरा सोसयटी बेलतोरडी नागपुर थाना बेलतरोड़ी जिला नागपुर गिरफ्तार कर न्यायिय रिमांड पर लिया गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक गुरूविन्दर सिंह संधु चौकी प्रभारी स्मृति नगर , प्र आर मोह. अहफाज खान, अनुप साहू आरक्षक आकाश चौहान, कमल नारायण, अनिकेत चन्द्राकर, तिलेश्वर राठौर की कार्यवाही में सराहनीय योगदान रहा।

थैले में मिला नरमुंड, महिला का हो सकता है सिर

कोरिया । आरएनएस

सोमवार को सीएसईबी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत पंप हाउस झोपड़ी पारा श्मशान घाट के पास पुराना फिल्टर हाउस हसदेव नदी में मछली पकड़ रहे छोटे-छोटे बच्चों को एक प्लास्टिक थैला बहते हुए मिला जिसे जिज्ञासावश बाहर निकालने पर थैली में एक मानव मुंडी मिली। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञ भी मौके पर पहुंचे। थैला खोलकर देखा गया तो उक्त थैले में एक मुंडी जिसमें बड़े-बड़े बाल थे कलाई का एक हिस्सा तथा एक पंजा जो काले मेरून कलर की कथरी या गद्दे के कवर में लपेटा था। जिसके साथ एक समीज एवं गुलाबी रंग का टाप मिला है जिसमें एक ओर लव अर्थ टोन्स और दूसरी ओर आथिया लिखा है। संभवत: 1.5 से 2 माह पूर्व की घटना हो सकती है। जिला कोरिया महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एवं कोरबा में पिछले चार माह पूर्व के ऐसे गुम इंसान जिसमें गुमशुदा महिलाओं के ऐसे मामले जिम जिम गुम इंसान दस्तयाब नहीं हुआ हो संबंधित थाना व्यक्ति पुलिस चौकी सीएसईबी से संपर्क कर सकते हैं। घटना के संबंध में मर्ग क्र. 13/25 कायम कर बाद पंचायतनामा पीएम के लिए रवाना किया गया है। कपड़े के आधार पर पता तलाश करने से महिला की पहचान हो सकती है ?

अवैध संबंध के चलते पति-पत्नी ने की युवक की हत्या

रायपुर । आरएनएस

राजधानी के माना क्षेत्र में अवैध संबंध के चलते पति-पत्नी ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार माना थानाक्षेत्र के शारदा विहार कॉलानी टेमरी में रहने वाले करण बंजारे की पत्नी पुष्पा बंजारे का उसके ही दूर के रिश्तेदार संजय जांगड़े के साथ अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी करण को थी और कई बार इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। संजय अक्सर करण की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी पुष्पा से मिलने आता था। रविवार रात को भी संजय शराब के नशे में पुष्पा से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान अचानक करण भी घर पहुंच गया और पत्नी के साथ संजय को देखकर आगबबुला हो गया और इस बात को लेकर तीनों के बीच जमकर विवाद हुआ। इधर पकड़े जाने के बाद पुष्पा ने भी संजय के आने का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी बीच करण और संजय के बीच मारपीट शुरू हो गई। और करण ने गुस्से में आकर घर में रखे हथौड़े से संजय के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया जिससे संजय वहीं लहुलुहान होकर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को फोन किया और सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।

पूंजीपथरा पुलिस की अवैध शराब पर कार्यवाई जारी: गेरवानी ईंट भट्ठे पर छापेमार में 30 लीटर महुआ शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

जिले के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। सहायक उप निरीक्षक विजय एक्का के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर से मिली सूचना पर ग्राम गेरवानी डीपापारा में ईंट भट्ठे के पास छापेमारी की। पुलिस को खबर मिली थी कि महेंद्र बर्मन नामक व्यक्ति राजकुमार मांडे के ईंट भट्ठे के पास अवैध शराब बिक्री के लिए छिपाकर रखे हुए है।

मौके पर पहुंचकर पुलिस ने संदिग्ध महेंद्र बर्मन को पकड़ लिया और पूछताछ की। आरोपी ने शराब छिपाकर रखने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर दो प्लास्टिक डिब्बों में भरी 30 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत रु.3000 बताई जा रही है। 27 वर्षीय महेंद्र बर्मन, जो ग्राम गेरवानी डीपापारा का निवासी है, के खिलाफ थाना पूंजीपथरा में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस छापेमार कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक विजय एक्का, जयराम सिदार के साथ प्रधान आरक्षक विनीत तिर्की, आरक्षक विक्रम कुजूर, निर्दोष लकड़ा और राजेश कुमार बंजारे ने सक्रिय भूमिका निभाई।

पूंजीपथरा पुलिस की यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध गतिविधियों की सूचना देकर पुलिस का सहयोग करें, ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे।

बिटक्वाइन ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला सेंट्रल जीएसटी अफसर का बेटा गिरफ्तार

भिलाई । आरएनएस

भिलाई की सुपेला थाना पुलिस ने बीआईटी कॉलेज दुर्ग की इंजिनीयरिंग छात्रा से बिटक्वाइन ट्रेडिंग के नाम पर 36 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि आरोपी नागपुर में तैनात एक सेंट्रल जीएसटी अफसर का बेटा है। इस मामले की शिकायत 16 अगस्त 2024 को स्मृति नगर जुनवानी निवासी वैष्णवी नायर ने सुपेला थाने में दर्ज कराई थी।

मिली जानकारी के अनुसार वैष्णवी 2016 में बीआईटी दुर्ग में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, जहां उसकी मुलाकात उसके जूनियर तनमय विनोद कोहड़ से हुई थी। वैष्णवी ने इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद पुणे में आईटी कंपनी में जॉइन किया। 2019 में अचानक तनमय का फ ोन आया, जिसमें उसने बताया कि वह इंजीनियरिंग पूरी कर चुका है और डिग्री लेने के लिए आया है। इस दौरान उसने वैष्णवी से बिटक्वाइन ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में बात की और कहा कि इसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। इस पर वैष्णवी ने शुरुआत में 7800 रुपए का निवेश किया और कुछ दिन बाद उसे 6500 रुपए का रिटर्न मिला। तनमय ने वैष्णवी को आश्वस्त किया कि यदि वह और अधिक निवेश करेगी, तो उसे बड़ा लाभ होगा और रिटर्न की गारंटी भी दी। वैष्णवी ने उसके भरोसे में आकर 10 अगस्त 2020 से 28 अप्रैल 2022 के बीच तीन अलग-अलग ट्रांजेक्शनों में कुल 36 लाख रुपए निवेश कर दिए। जब उसने रिटर्न मांगने की कोशिश की, तो तनमय ने उसे टालमटोल किया, जिसके बाद वैष्णवी ने सुपेला थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद, स्मृति नगर और क्राइम ब्रांच की टीम ने नागपुर में आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने तनमय को उसके घर से गिरफ्तार किया और दुर्ग लेकर आई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, आर्थिक अपराध और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।

बताया जाता है कि आरोपी तनमय के पिता विनोद कोहड़ सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट में स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के सुप्रीटेंडेंट हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

दमेरा पर्यटन स्थल को साफ करने अधिकारी-कर्मचारियों ने किया श्रमदान

- जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम सहित सभी ने ली स्वच्छता की शपथ

जशपुर । आरएनएस

जिले में पर्यटन स्थलों के विकास एवं संरक्षण के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिसके तहत सोमवार को पर्यटन क्षेत्र दमेरा में कलेक्टर रोहित व्यास के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन के अधिकारी- कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता श्रमदान किया। इस श्रमदान में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, एसडीएम ओंकार यादव, तहसीलदार जयश्री राजनपथे, अतिरिक्त सीईओ प्रदीप कुमार राठिया, जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार भटनागर, ईई जल संसाधन विनोद भगत, उपसंचालक पशु चिकित्सा अवधेश कुमार मरकाम, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, सहायक संचालक मत्स्य विभाग जितेंद्र कुमार पैंकरा सहित जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी, ग्राम पंचायत रेंगोला के जनप्रतिनिधि, स्वच्छता समूहों की दीदियां, जय हो स्वयंसेवक सहित स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार के नेतृत्व में सभी ने पर्यटन केंद्र में फैली गंदगी को इक्क_ा करते हुए सभी को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पर्यटन स्थल लोगों के लिए मनोरंजन का साधन होने के साथ प्रकृति का अनुपम उपहार और वन के वन्य जीवों के लिए जीवन का माध्यम भी है। जिसका आनंद उठाने के लिए इन स्थलों का स्वच्छ होना भी आवश्यक है और पर्यटन क्षेत्रों को स्वच्छ रखना ना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है वरन हमारा कर्तव्य भी है। इसके लिए सभी को मिलकर इन स्थलों को स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए।

इस कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ ने सभी को स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहते हुए हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान कर स्वच्छता करने तथा स्वयं गंदगी न करते हुए दूसरों को भी गंदगी करने से रोकने एवं अन्य लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए जशपुर को स्वच्छ बनाने का संकल्प दिलाया।